


BITT Group of Institutions Celebrating it's 27 Glorious years

# BITT POLYTECHNIC

(Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Jharkhand University of Technology, Ranchi)

RUN AND MANAGED BY BIRSA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (TRUST) - BITT

मानवता की सेवा, सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा



UNIT OF BITT

हमारे सभी विद्यार्थियों एवं सहयोगियों को  
हमारी 27 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का हिस्सा  
बनने के लिए धन्यवाद.

आपका विश्वास ही हमारी निरंतर सफलता की प्रेरणा है।

सर्वश्रेष्ठ पॉलीटेक्निक संस्थान, सर्वोत्तम पढ़ाओ, सर्वोत्तम बनाओ।

DEPARTMENT OF TRAINING, PLACEMENT, CONSULTING,  
INNOVATION & RESEARCH (DTPCIR)

BITT-G/NOTICE/2022-23/ 10310

Dated: 01/04/2022

## NOTICE

All the students of diploma in CE, ME & EE of sessions: 2018-21, 2017-20, 2016-19, 2015-18 are hereby informed that a company **“DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY- GOVERNMENT OF INDIA”** is shortly going to do online/ offline / recruitment/ Apprenticeship / placement program for Apprenticeship program.



### COMPANY DETAILS

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY- GOVERNMENT OF INDIA

The Department of Atomic Energy (DAE) came into being on August 3, 1954 under the direct charge of the Prime Minister through a Presidential Order. According to the Resolution constituting the AEC, the Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy is ex-officio Chairman of the Atomic Energy Commission.

DAE has been engaged in the development of nuclear power technology, applications of radiation technologies in the fields of agriculture, medicine, industry and basic research.

DAE comprises five research centers, three industrial organizations, five public sector undertakings and three service organizations. It has under its aegis two boards for promoting and funding extra-mural research in nuclear and allied fields, mathematics and a national institute (deemed university).

It also supports eight institutes of international repute engaged in research in basic sciences, astronomy, astrophysics, cancer research and education. It also has in its fold an educational society that provides educational facilities for children of DAE employees.

The Indian Atomic Energy Commission was first setup in August 1948 in the Department of Scientific Research, which was created a few months earlier in June 1948. The Department of Atomic Energy (DAE) was setup on August 3, 1954 under the direct charge of the Prime Minister through a Presidential Order. Subsequently, in accordance with a Government Resolution dated March 1, 1958, the Atomic Energy Commission (AEC) was established in the Department of Atomic Energy. The Prime Minister (late Pandit Jawaharlal Nehru) also laid a copy of this Resolution on the table of the Lok Sabha on March 24, 1958.

According to the Resolution constituting the AEC, the Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy is ex-officio Chairman of the Commission.

### JOB DETAIL:

**Job Role:** Scientific Assistant/B

**Educational Qualification:** Diploma in CE, ME & EE.

**Location:** All over India

**Diploma passing year:** sessions: 2018- 21, 2017-20, 2016-19, 2015-18, 2014-17, 2013-16.

**Vacancies:** Multiple

**Stipend:** Group B Post-Level 6 in the Pay Matrix-Entry pay: Rs.35400 plus DA and other allowances as admissible to Central Government Employees

**Last Date:** 29.04.2022

### **RECRUITMENT PROCESS:**

Online / offline/ apprenticeship /recruitment / placement program.

### **Offline application submission**

### **DOCUMENTS REQUIRED (In Joining):**

1. PAN Card
2. AADHAR Card
3. 10<sup>th</sup> /12<sup>th</sup>Mark sheet
4. Board Certificate
5. Diploma Semester wise Mark sheet and Certificate.

### **NOTE:**

- a. The interested students should fill their details at available Link: <https://forms.gle/o67Rnfc6Cb5G96tz7> on or before 29/04/2022 up to 11:59 PM, for attending the online placement program.
- b. The above notice has been shared from the authentic source like advertisements/print media/ newspaper/ journals/recruiters/ public/ private sectors. The aim of the institute is to make an advanced level awareness of the vacancies in public as well as private sectors for recruitments/ placements of diploma students as per company's recruitment policies. The students have to complete the registration process on visiting the company website (career section) Or fill up the recruiter's formson their links as well as they have to fill the college registration form in complete manner as per company norms/HR policies. The recruitment/ placement programs are based on online/ offline tests and interviews conducted by authorized officials. The placements/joining will be only offered to those students who will qualify all the process. The college is helping hand for students and taking best possible efforts for their brighter future. Remember, there is no any shortcuts / easy way to have direct placements. The college is not fully responsible to the students who will not able to get selected in thedesired company.

### **BITT HELP-DESK:**

**BITT Special Student's Care:** In Case of any issue, for any Observation/Suggestion/Grievances/Feedback, Please WhatsApp on 9931080111 / Call 9470193650 Or Email at: [rkbitt@gmail.com](mailto:rkbitt@gmail.com) (From 11.30 AM to 02.30 PM & Days: MONDAY - FRIDAY Only). We are committed for best academic support to our students.

(NOTE - All students are advised to make only WhatsApp messages on BITT helpline WhatsApp No.- 9931080111. Students may send their feedbacks/suggestions/complaints through WhatsApp only. No any call will be entertained on this no. in any cases.)





भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
विक्रम साराभाई भवन, द्वितीय तल, उत्तर स्कंध, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094.

विज्ञापन संख्या. निसेसंप्रनि/ 01 / 2022

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि: 29.04.2022

“सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय (निसेसंप्रनि), परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की विभिन्न इकाइयों के साथ-साथ इसकी सहायता प्राप्त संस्थानों को अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह निदेशालय मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की आवासीय कॉलोनियों के संपदा प्रबंधन एवं विभिन्न सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। यह निदेशालय अन्य सरकारी विभागों के लिए भी परियोजना प्रबंधन परामर्श देता है।

इस निदेशालय में निम्नलिखित पदों के लिए दिनांक 29.04.2022 तक प्रत्येक पद के सामने यथावर्णित न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु के, आवश्यक अर्हता प्राप्त, सक्रिय एवं समर्पित युवा उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

- I. तकनीकी अधिकारी/सी (ग्रुप ए पद – वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में आरंभिक वेतन रु. 56100 + केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते)  
रिक्तियों की संख्या : 3 (एससी -1 / ओबीसी -2)

पद कोड संख्या	पद	पदों की संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	शैक्षणिक योग्यता
1	तकनीकी अधिकारी/सी (सिविल)	2	1	0	1	0	0	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./ बी.टेक. न्यूनतम 60% अंकों सहित अधिकतम आयु सीमा: एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर 40 पात्र नहीं 38 पात्र नहीं पात्र नहीं
2	तकनीकी अधिकारी/सी (यांत्रिकी)	1	0	0	1	0	0	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में बी.ई./ बी.टेक. न्यूनतम 60% अंकों सहित अधिकतम आयु सीमा: एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर पात्र नहीं पात्र नहीं 38 पात्र नहीं पात्र नहीं

**चयन प्रक्रिया:**

यदि उम्मीदवार अधिक हैं तो, पात्र उम्मीदवार की स्क्रिनिंग टेस्ट करके, साक्षात्कार को बुलाने हेतु उम्मीदवारों की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार निसेसंप्रनि के पास है। हालाँकि अंतिम चयन केवल वैयक्तिक साक्षात्कार के निष्पादन पर आधारित होगा।

II. **वैज्ञानिक सहायक/बी (ग्रुप बी पद – वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में आरंभिक वेतन रु. 35400 + केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते)**

रिक्तियों की संख्या : 10 (एसटी-2 /ओबीसी-3 / ईडब्ल्यूएस -1 /यूआर-4)

पद कोड संख्या	पद	पदों की संख्या	एस सी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	शैक्षणिक योग्यता										
3	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	6	0	1	2	1	2	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ (एसएससी के बाद 3 वर्ष या एचएससी के बाद 2 वर्ष)</p> <p>अधिकतम आयु सीमा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>एससी</th> <th>एसटी</th> <th>ओबीसी</th> <th>ईडब्ल्यूएस</th> <th>यूआर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30*</td> <td>35</td> <td>33</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>*पद एससी के लिए आरक्षित नहीं है</p>	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	30*	35	33	30	30
एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर														
30*	35	33	30	30														
4	वैज्ञानिक सहायक/बी (यांत्रिकी)	2	0	0	1	0	1	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ (एसएससी के बाद 3 वर्ष या एचएससी के बाद 2 वर्ष)</p> <p>अधिकतम आयु सीमा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>एससी</th> <th>एसटी</th> <th>ओबीसी</th> <th>ईडब्ल्यूएस</th> <th>यूआर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30*</td> <td>30*</td> <td>33</td> <td>पात्र नहीं</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>*पद एससी/एसटी के लिए आरक्षित नहीं है।</p>	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	30*	30*	33	पात्र नहीं	30
एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर														
30*	30*	33	पात्र नहीं	30														
5	वैज्ञानिक सहायक/बी (इलेक्ट्रीकल)	2	0	1	0	0	1	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ (एसएससी के बाद 3 वर्ष या एचएससी के बाद 2 वर्ष)</p> <p>अधिकतम आयु सीमा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>एससी</th> <th>एसटी</th> <th>ओबीसी</th> <th>ईडब्ल्यूएस</th> <th>यूआर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30*</td> <td>35</td> <td>30*</td> <td>पात्र नहीं</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>*पद एससी/ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है।</p>	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	30*	35	30*	पात्र नहीं	30
एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर														
30*	35	30*	पात्र नहीं	30														
<p><b>चयन प्रक्रिया</b></p> <p>चयन वैयक्तिक साक्षात्कार के निष्पादन पर होगा। पात्र उम्मीदवार की स्क्रिनिंग टेस्ट के द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार यह निदेशालय रखता है। उम्मीदवार को 1:5 के अनुपात में स्क्रिनिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाएंगे। अंतिम चयन के लिए स्क्रिनिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p>टेस्ट में संबंधित विषय से जुड़े 50 बहु विकल्प प्रश्नों (4 उत्तरों का चयन) को एक घंटे की समयावधि में पूरा करना होगा।</p> <p><b>अंक योजना:</b> प्रत्येक सही उत्तर को 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।</p>																		



III. तकनीशियन/बी (ग्रुप सी पद – वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 में आरंभिक वेतन रु. 21700 + केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते )

रिक्तियों की संख्या: 20 (एसटी-3 /ओबीसी-8# / ईडब्ल्यूएस -2 /यूआर-7)

# 3 बेकलॉग रिक्तियों सहित

एचएच (मुनने की अशक्तता) एवं ओएच (अस्थि से संबंधित दिव्यांगता) के लिए एक-एक पद आरक्षित है जो निम्नवत हैं। शारीरिक अशक्तता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।

पद कोड संख्या	पद	पदों की संख्या	एस सी	एसटी	ओबी सी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	शैक्षणिक योग्यता				
6	तकनीशियन/बी (प्लंबिंग)	4	0	1	2	0	1	एसएससी में न्यूनतम 60% अंक (विज्ञान एवं गणित के साथ) एवं प्लंबिंग में ट्रेड प्रमाण-पत्र. अधिकतम आयु सीमा				
								एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर
								25*	30	28	पात्र नहीं	25
								*पद एससी के लिए आरक्षित नहीं है।				
7	तकनीशियन/बी (कारपेंटरी)	4	0	1	1	0	2	एसएससी में न्यूनतम 60% अंक (विज्ञान एवं गणित के साथ) एवं कारपेंटर में ट्रेड प्रमाण-पत्र. अधिकतम आयु सीमा				
								एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर
								25*	30	28	पात्र नहीं	25
								* पद एससी के लिए आरक्षित नहीं है।				
8	तकनीशियन/बी (मेखनी)	2	0	0	1	0	1	एसएससी में न्यूनतम 60% अंक (विज्ञान एवं गणित के साथ) एवं मेखनी में ट्रेड प्रमाण-पत्र. अधिकतम आयु सीमा:				
								एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर
								25*	25*	28	पात्र नहीं	25
								* पद एससी/एसटी के लिए आरक्षित नहीं है।				
9	तकनीशियन/बी (फिटर)	2	0	0	1	1	0	एसएससी में न्यूनतम 60% अंक (विज्ञान एवं गणित के साथ) एवं फिटर में ट्रेड प्रमाण-पत्र. अधिकतम आयु सीमा:				
								एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर
								पात्र नहीं	पात्र नहीं	28	25	पात्र नहीं
10	तकनीशियन/बी (एअर कंडिशनिंग)	2 (1 पद एचएच के लिए आरक्षित)	0	0	1	0	1	एसएससी में न्यूनतम 60% अंक (विज्ञान एवं गणित के साथ) एवं एअर कंडिशनिंग में ट्रेड प्रमाण-पत्र. अधिकतम आयु सीमा:				
								एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर
								25*	25*	28	पात्र नहीं	25

								पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है																				
								<table border="1"> <tr> <th>एससी</th> <th>एसटी</th> <th>ओबीसी</th> <th>ईडब्ल्यूएस</th> <th>यूआर</th> </tr> <tr> <td>35*</td> <td>35*</td> <td>38</td> <td>पात्र नहीं</td> <td>35</td> </tr> </table>	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	35*	35*	38	पात्र नहीं	35										
एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर																								
35*	35*	38	पात्र नहीं	35																								
								* पद एससी/एसटी के लिए आरक्षित नहीं है।																				
11	तकनीशियन/वी (इलैक्ट्रीकल)	6 (1 पद ओएच के लिए आरक्षित)	0	1	2	1	2	<p>एसएससी में न्यूनतम 60% अंक (विज्ञान एवं गणित के साथ) एवं विद्युत में ट्रेड प्रमाण-पत्र. अधिकतम आयु सीमा:</p> <table border="1"> <tr> <th>एससी</th> <th>एसटी</th> <th>ओबीसी</th> <th>ईडब्ल्यूएस</th> <th>यूआर</th> </tr> <tr> <td>25*</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </table> <p>पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है</p> <table border="1"> <tr> <th>एससी</th> <th>एसटी</th> <th>ओबीसी</th> <th>ईडब्ल्यूएस</th> <th>यूआर</th> </tr> <tr> <td>35*</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </table> <p>* पद एससी के लिए आरक्षित नहीं है।</p>	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	25*	30	28	25	25	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	35*	40	38	35	35
एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर																								
25*	30	28	25	25																								
एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर																								
35*	40	38	35	35																								
<p>ट्रेड प्रमाण-पत्र के संबंध में उम्मीदवारों को निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दो वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई उत्तीर्ण) या</li> <li>2. शिक्षता प्रशिक्षण योजना के तहत 2 वर्षों की अवधि का एनएसी (NAC) या</li> <li>3. एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई उत्तीर्ण) पूरा करने के पश्चात एक साल का कार्य अनुभव या</li> <li>4. एक वर्ष का एनटीसी (आईटीआई उत्तीर्ण) और शिक्षता प्रशिक्षण योजना के तहत 1 वर्ष की अवधि का एनएसी (NAC)</li> </ol>																												



**चयन प्रक्रिया:**

चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है :

**चरण-1: प्रारंभिक परीक्षा:**

सभी विषयों के लिए टेस्ट होगी और 50 बहु विकल्प प्रश्नों (4 उत्तरों का चयन) को निम्नलिखित अनुपात में एक घंटे की समयावधि में पूरा करना होगा।

- ए. गणित (20 प्रश्न)
- बी. विज्ञान (20 प्रश्न)
- सी. सामान्य जागरूकता (10 प्रश्न)

**अंक योजना:** प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।

**नोट:** सामान्य श्रेणी में <40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीन आउट किया जाएगा। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 30% से कम पर नियत नहीं किया जाएगा।

**चरण-2 : प्रगत परीक्षा:**

चरण 1 में स्क्रीन किए गए सभी उम्मीदवारों को उक्त पद के लिए प्रगत परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। टेस्ट में दिए गए 50 बहु विकल्प प्रश्नों (4 उत्तरों का चयन) को दो घंटे की समयावधि में पूरा करना होगा।

**अंक योजना:**

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।

**नोट:** सामान्य श्रेणी में <30% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीन आउट किया जाएगा। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 20% से कम पर नियत नहीं किया जाएगा।

चरण 1 एवं चरण 2 की दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित की जाएगी।

चरण 2 में प्राप्त किए गए अंको के आधार पर अंतिम योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी।

बराबर होने की स्थिति में, योग्यता सूची में पद निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा :

- चरण 2 में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण 1 में उच्च अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण 1 में कम नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण 1 में गणित में उच्च सकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण 1 में विज्ञान में उच्च सकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

**चरण-3 : ट्रेड/स्कील टेस्ट**

चरण 2 के पश्चात तैयार योग्यता सूची के आधार पर स्कील टेस्ट हेतु उम्मीदवार को शार्ट लिस्ट किया जाएगा।

स्कील टेस्ट हेतु शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या, चरण 2 हेतु अर्हता उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होगी परंतु उक्त पद हेतु रिक्तियों की संख्या के 4-5 गुना से ज्यादा नहीं होगी। स्कील टेस्ट गो/नो गो के आधार पर उम्मीदवारों की अर्हता हेतु आयोजित किया जाएगा।

स्कील/ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को चरण 2 में प्राप्त अंकों पर आधारित मेरिट के क्रम में सूची में शार्ट लिस्ट किया जाएगा।

**नोट:**

वैज्ञानिक सहायक/बी एवं तकनीशियन/बी के लिए भर्ती मानदण्ड न्यूनतम अर्हता एवं अंक प्रतिशत के अनुसार पात्रता निर्धारित करता है। तथापि, उच्चतर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, यदि कम अर्हता निर्धारित पदों के चयन हेतु आवेदन देते हैं, तो आवश्यक योग्यता के आधार पर भर्ती हेतु उनको सैद्धांतिक रूप से अवसर दिया जायेगा। उम्मीदवार जो पहले से निर्धारित अर्हता से अधिक अर्हता प्राप्त हैं अथवा जो अपनी भर्ती के बाद न्यूनतम 60% अंक सहित उच्चतर अर्हता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरा करनेवाले हैं, उनकी इस अर्हता पर, निम्नवत् दिए गए विवरणानुसार विशिष्ट अवधि हेतु अतिरिक्त अर्हता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जायेगा :

ए. बी.एससी / अभियांत्रिकी डिप्लोमा	- 6 वर्ष
बी. बी.ई/बी.टेक/एएमआईई/एम.एससी	- 8 वर्ष
सी. एम.ई/एम.टेक/पीएचडी	-10 वर्ष

**आयु सीमा में छूट :****निम्नानुसार निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी :**

1. एससी/एसटी उम्मीदवार (केवल आरक्षित पदों के लिए) के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. ओबीसी उम्मीदवार(केवल आरक्षित पदों के लिए) के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी।  
(अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट लागू नहीं होगी)
3. 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को, जो दिव्यांगता के दावे के रूप में, उस क्षेत्र के सम्बंधित सरकारी अस्पताल/मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के ऊपरी आयु सीमा के 10 वर्षों की छूट अनुमेय है।
4. उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमेय होगी जो व्यक्ति मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 01 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे थे, बशर्ते किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट, संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी।
5. 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमेय है।
6. विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु के अतिरिक्त रक्षा सैनिकों को अपनी सेवा देने के लिए ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिक छूट मिलेगी।
7. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और कानूनी तौर पर पति से अलग हुई महिलाओं जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक की छूट होगी (एससी/एसटी के लिए 40 वर्ष)।
8. विभागीय उम्मीदवार को केंद्र सरकार या उसके सहबद्ध केंद्र में निरंतर 3 वर्ष कार्यरत होते हुए ऊपरी आयु सीमा में छूट :  
ए. ग्रुप सी के पदों की नियुक्ति के लिए 40 वर्ष तक (एससी/एसटी के लिए 45 वर्ष)।  
बी . ग्रुप ए एवं बी के पदों की नियुक्ति के लिए, जो उसी लाईन या सहबद्ध केंद्र में 5 वर्ष से है और विशिष्ट पद में पहले से ही ऐसा संबंध स्थापित हुआ हो, और नए पद के कार्यभार को प्रभावी रूप से करने में उपयोगी होगा।

**अतिरिक्त लाभ :**

परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी नियमों के अंतर्गत ग्राह्य सामान्य वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए पात्र हैं :

- उत्साहवर्धक कार्यालयीन वातावरण
- पदोन्नति के अवसर
- आकर्षक कार्य निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन
- आकर्षक व्यावसायिक अपडेट भत्ता
- स्वयं एवं परिवार के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा
- स्वयं एवं परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत
- भारत सरकार के आदेशों के अनुसार शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, विभागीय आवास इत्यादि

### आवेदन शुल्क

नीचे दर्शाए अनुसार, पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा अ-प्रतिदेय(नॉन रिफण्डेबल) आवेदन शुल्क का "वेतन और लेखा अधिकारी, डीसीएसईएम" मुम्बई के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करें :

पद कोड	पद का नाम	शुल्क
1 से 2	तकनीकी अधिकारी/सी	रु.500
3 से 5	वैज्ञानिक सहायक/बी	रु.300
6 से 11	तकनीशियन /बी	रु.250

निम्नलिखित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है:-

- 1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार
- 2) महिला उम्मीदवार
- 3) भूतपूर्व सैनिक
- 4) विकलांग व्यक्ति (पी डब्ल्यू डी)

### आवेदन कैसे करें

- i. आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले सफेद ए-4 आकार के सादे कागज पर किया जाना चाहिए और इस विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवेदन सुपाकृत है, अधिमानतः केवल अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया गया है। इस चरण में केवल आवेदन भेजना है। प्रमाणपत्रों की प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ii. आवेदन पर तथा लिफाफे पर (बाहरी कवर) विज्ञापन संख्या डीसीएसईएम / 01/2022 के अनुसार " \_\_\_\_\_ के पद के लिए आवेदन, पद कोड \_\_\_\_\_ " लिखा जाना चाहिए।
- iii. आवेदन निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए-  
सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती अनुभाग,  
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय,  
दूसरी मंजिल, विक्रम साराभाई भवन,  
अणुशक्तिनगर,  
मुंबई - 400 094
- iv. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- v. फोटोग्राफ : आवेदन की दाहिनी ओर शीर्ष कोने पर नाम और तारीख के साथ सफेद पृष्ठभूमि वाला एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया जाना चाहिए। फोटो में चेहरा सीधा होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो की दो अतिरिक्त प्रतियां भी भेजनी होंगी।

### सामान्य अनुदेश :

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट [www.dcsem.gov.in](http://www.dcsem.gov.in) पर उपलब्ध विधिवत भरे हुए आवेदन को जमा करें।
2. एक पद के लिए मात्र एक आवेदन ही प्रस्तुत करें। अगर उम्मीदवार एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए उन्हें अलग-अलग आवेदन एवं अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।
3. उम्मीदवारों का वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को आवेदन में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा (यद्यपि वे अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करते हों)

5. उम्मीदवारों को संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के मानदण्डों की परिवर्तन प्रणाली के अनुसार उस विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दिए जाने वाले सीजीपीए/ओजीपीए ग्रेड या उसके समतुल्य का परिवर्तन, प्रतिशत में करना होगा, उसके बिना उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. विज्ञापन में विहित पात्रता मानदंड, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा। आवेदन देने से पूर्व, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों एवं आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं रखते हों। विज्ञापन में विहित शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता संबंधी शिक्षा प्राप्त कर रहे उम्मीदवार आवेदन देने हेतु पात्र नहीं हैं।
7. विज्ञापन में दी गई आवश्यकताओं की मात्र पूर्ति कर लेने से किसी उम्मीदवार को जाँच/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
8. केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के अधीन कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन की हार्ड कॉपी सहायक कार्मिक अधिकारी, भर्ती अनुभाग, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, दूसरी मंजिल, विक्रम साराभाई भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400 094 को जमा करनी चाहिए। उन्हें "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी जमा करना आवश्यक है। आवेदन की अग्रिम प्रति पर विभाग कार्रवाई नहीं करेगा।
9. आवेदन जो पढ़ने योग्य नहीं है, अधूरा, अहस्ताक्षरित, निर्धारित प्रारूप में नहीं है, उम्मीदवार की तस्वीर के बिना, आवेदन शुल्क के बिना, उन उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। यदि आवेदित पद, लिफाफे और आवेदन के शीर्ष पर इंगित नहीं किया गया है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. चयन/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार के अवसर पर, उम्मीदवार को पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/पासपोर्ट की मूल प्रति), विज्ञापन में उल्लिखितानुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल एवं स्वयं साक्ष्यांकित प्रतियां लाना चाहिए।
11. भारत सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगता सहित व्यक्तियों के लिए प्रतिपूरक समय उपलब्ध कराया जाएगा।
12. जाँच/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग का द्वितीय श्रेणी का आने-जाने का रेल किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) यात्रा भत्ता के रूप में दिया जायेगा। तथापि, जाँच/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा करने हेतु जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके उम्मीदवारगण पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार सेवा, केन्द्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थान एवं पंचायत में कार्यरत हैं और रेलवे से यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं, उनके लिए यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति एवं पेपर टिकट/ई-टिकट की प्रस्तुति पर ही यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति को उम्मीदवार के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली डाल दी जाएगी। तदनुसार जाँच/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति का फार्म वेबसाइट [www.dcsem.gov.in](http://www.dcsem.gov.in) पर उपलब्ध है।
13. मुख्य सूची में उपलब्ध उम्मीदवार द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में ही प्रतिक्षा सूची के अधीन चयनित उम्मीदवार को केवल नियुक्ति प्रस्ताव दिया जायेगा। प्रतिक्षा सूची के प्रचालन की वैधता, चयनित पैनल के तैयार होने की तिथि से एक वर्ष तक या इस तरह की भर्ती के अधिसूचित करने के पश्चात, जो भी पहले हों, होगी।
14. चयनित उम्मीदवारों की तैनाती सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार होगी एवं वे भारत स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी हिस्से में तथा इस विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
15. उपर्युक्त वर्गों द्वारा किये जानेवाले कार्य के प्रकार के अनुसार दिन-रात की पारी कार्य, प्रचालन स्थलों एवं क्षेत्रों में कार्य आदि हो सकते हैं।
16. इस निदेशालय के पास, सूचना के बिना अथवा बिना कोई कारण बताए, पद भरने या पद को रद्द करने/प्रतिबंधित करने/संशोधित करने/पूरी भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तित करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
17. उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट अवश्य देखें। भर्ती संबंधी सभी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वेबसाइट पर दर्शायी गई सूचना, उम्मीदवारों को दी गई सूचना मानी जाएगी।
18. ऊपर दर्शायी गयी रिक्तियाँ अस्थायी हैं एवं बदल सकती हैं। विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही भरा जायेगा और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्यथा निर्णय लिये जाने पर उनको भरा नहीं जायेगा।
19. चयनित उम्मीदवार, उनकी नियुक्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) से शासित होंगे।

जाँच/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जानेवाले स्व-सत्यापित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ

- i. परीक्षा में लिए गए विषयों को इंगित करती हुई अंक तालिका एवं उपयुक्त प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताएँ।
- ii. जन्म तारीख/आयु का प्रमाण। विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र/नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि ही स्वीकार्य है।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग (अनुलग्नक) में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाणपत्र होना चाहिए। संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में समुदाय सम्मिलित किया गया हो।
- iv. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाणपत्र, नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और उस जाति/समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग के केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया हो। अन्य पिछड़े वर्ग नवोन्नत वर्ग प्रमाणपत्र निर्धारित करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र में नवोन्नत वर्ग स्थिति को स्वयं घोषित करें तथा संलग्न करें। आयु में छूट एवं आरक्षण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब "अन्य पिछड़े वर्ग का वह व्यक्ति जो नवोन्नत वर्ग से संबंधित नहीं है", जिनकी परिभाषा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में उल्लिखित है और ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस) दिनांक 09.03.2004, ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस) दिनांक 14.10.2008, ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 एवं दिनांक 13.9.2017 के भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013 स्था.(आरईएस) द्वारा नवीनतम संशोधित है।
- v. सेवामुक्ति प्रमाणपत्र (केवल पूर्व सैनिक के लिए लागू)।
- vi. वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित होने का सबूत(यदि आयु सीमा में छूट हेतु दावा करते हैं)।
- vii. दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक कश्मीर संभाग में अधिवासी होने का प्रमाणपत्र (यदि कश्मीर संभाग हेतु आयु सीमा में छूट हेतु दावा करते हैं )।  
**आवासीय साक्ष्य का प्रमाणपत्र:** नियम 3 के अंतर्गत अनुमेय आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कश्मीर विभाग के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा,जिनके अधिकार क्षेत्र का वह सामान्य रहिवासी हो अथवा जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर भाग का सामान्य अधिवासी रहा है।
- viii. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) आरक्षण :**  
जो उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी हेतु आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 8 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है उन्हें ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में आवेदन वर्ष से एक वर्ष पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों द्वारा हुई आय को शामिल किया जाएगा अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय इ. सभी स्रोतों से हुई आय इसमें शामिल होगी। जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति में से कुछ भी होगा उनकी पारिवारिक आय चाहे जो भी हो उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।
  1. 5 एकड़ और इससे अधिक कृषि भूमि
  2. 1000 वर्ग फुट और इससे अधिक का आवासीय फ्लैट
  3. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में 100 वर्ग फिट और इससे अधिक का आवासीय भूखंड
  4. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग फिट और इससे अधिक का आवासीय भूखंड जब भूमि अथवा संपत्ति के लिए आवेदन किया जाए तो ईडब्ल्यूएस स्थिति का निर्धारण करने हेतु जाँच के दौरान " परिवार" के स्वामित्व में विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न जगह/शहरों की भूमि अथवा समग्र संपत्ति को जोड़ा जाएगा।इस प्रयोजन के लिए " परिवार" शब्द का अभिप्राय है कि जो उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयुवाले भाई बहन, तथा उनके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।



सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस हेतु उम्मीदवारी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा :

ए. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त /अपर उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

बी. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

सी. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम न हो और

डी. उस क्षेत्र का उप विभागीय अधिकारी जहां प्रायः उम्मीदवार एवं /अथवा उसका परिवार रहता हो ।

ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र होना आवश्यक है जिसकी तारीख इस विज्ञापन हेतु आवेदन के प्राप्त करने की अंतिम तारीख हो (29.04.2022)। इन उम्मीदवारियों को लिखित परीक्षा के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन अनुबंधों का अनुपालन न होने पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण हेतु उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन पर केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा यदि वे सामान्य (यूआर) श्रेणी हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करते होंगे। यदि पात्रता हों, तो इस विज्ञापन के लिए ईडब्ल्यूएस स्टेटस को आवेदन हेतु बंद करने की तिथि तक केवल आरक्षण लाभ लेने के रूप में विचार किया जाएगा। इसके आगे ईडब्ल्यूएस स्टेटस के किसी उम्मीदवार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ix. **दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं**

- केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उपधारा(1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.1996 को अधिसूचित दिव्यांग(समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियामावली के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कम से कम तीन सदस्यों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए जिसमें से एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।
- जिनकी दिव्यांगता अस्थायी है, उनके लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष की अवधि तक ही मान्य रहेगा। चिकित्सा बोर्ड को प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि इंगित करनी होगी जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में भिन्नता की संभावना हो। वे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता स्थायी है, उनके प्रमाणपत्र स्थायी रूप से वैध हो सकते हैं। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, चिकित्सा बोर्ड मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से संबंधित अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में जैसे सही लगे वैसे आदेश पारित कर सकता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग / ईडब्ल्यूएस के दिव्यांग व्यक्ति जिनका चयन बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के बल पर अन्य उम्मीदवारों के साथ हुआ है, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों में माना जाएगा बशर्ते कि वह पद दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित श्रेणी में आता है।

नोट : उपरोक्त उल्लेखित प्रमाणपत्र का फॉर्मेट को हमारी वेबसाइट [www.dcsem.gov.in](http://www.dcsem.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

कार्य का प्रकार :

पद कोड सं.	पद का नाम	कार्य का प्रकार
01	तकनीकी अधिकारी/सी (सिविल)	सिविल निर्माण के अभिकल्पन, अभियांत्रिकी एवं निष्पादन/ भवन एवं सड़कों, लैंडस्केप से संबंधित अनुरक्षण कार्य। विशिष्ट विवरण के अनुसार जन-स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य एवं वर्किंग ड्राईंग, प्राक्कलन तैयार करना, निविदा कार्य, कार्य मूल्यांकन /एजेसी, दस्तावेजीकरण, रिपोर्ट का रखरखाव, निर्माण सामग्रियों की टेस्टिंग हेतु आवश्यक प्रबंधन, रनिंग लेखा बिल तैयार करना, संबंधित अनुभागों द्वारा ड्राईंग तैयार करना, समन्वय स्थापित करना एवं समय समय पर दिए गए अन्य कार्य करना।
02	तकनीकी अधिकारी/सी (यांत्रिकी)	विभिन्न सुविधाओं के लिए वातानुकूलन, रेफ्रीजरेटर, संवातन प्रणाली का अनुरक्षण एवं प्रचालन सहित अभिकल्पन, प्रापण, निष्पादन। यूनिटरी वातानुकूलनों के प्रापण, संस्थापन एवं अनुरक्षण भी है।
03	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	निर्माण कार्यों के दौरान सिविल एवं जन-स्वास्थ्य गतिविधियों का पर्यवेक्षण, भवन एवं सड़कों में सभी सिविल कार्यों का अनुरक्षण कार्य, बिलों को तैयार करना, प्राक्कलन तैयार करना, निविदा कार्य, कार्य ठेके संबंधी दस्तावेजी कार्य इत्यादि।

04	वैज्ञानिक सहायक/बी (यांत्रिकी)	वातानुकूलन एवं वायुसंवाहन, घरेलु जल आपूर्ति एवं अग्निशमन प्रणाली, क्रेन, जल एवं मलजल निस्सारण प्रणाली, संपीडित वायु प्रणाली जैसे यांत्रिक कार्य का निष्पादन एवं पाइप लाइन लगाना इत्यादि।
05	वैज्ञानिक सहायक/बी (इलेक्ट्रीकल)	सडक की लाइटिंग सहित वायरिंग लगाना एवं एलटी/एचटी विद्युत उपस्कर लगाना, परीक्षण, कमीशनन, प्रचालन एवं अनुरक्षण इत्यादि कार्य एवं विभिन्न कलर कोड युक्त सिंगल/तीन फेज आपूर्ति प्रणाली में विद्युत समस्याओं की उचित पहचान करना और उनका निराकरण एवं उपचार करना।
06	तकनीशियन/बी (प्लंबिंग)	विभिन्न स्थानों में आवासीय कॉलोनी एवं सार्वजनिक भवनों, संयंत्रों, फलैट्स घरेलु तथा अपशिष्ट जल प्रणालियों संबंधी पाइप लाइन से संबंधी सभी प्रकार के निर्माण/अनुरक्षण कार्य। इसमें ऊँचाइयों पर कार्य करना, सुरक्षा का ध्यान रखना, माप लेना, परिक्षण, विविध रिकार्ड का रखरखाव तथा समय समय पर दिए गए कार्य सम्मिलित हैं।
07	तकनीशियन/बी (कारपेंटरी)	विभिन्न स्थानों एवं आवासीय कॉलोनी एवं सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, आवासों, ड्रेन्स, या कोई अन्य संरचना के निर्माण/अनुरक्षण से संबंधित बटईगिरी कार्य। इसमें ऊँचाइयों पर कार्य करना, सुरक्षा का ध्यान रखना, माप लेना, परिक्षण, विविध रिकार्ड का रखरखाव तथा समय समय पर दिए गए कार्य सम्मिलित हैं।
08	तकनीशियन/बी (मेन्त्री)	विभिन्न स्थानों एवं आवासीय कॉलोनी एवं सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, आवासों, ड्रेन्स, या कोई अन्य संरचना के निर्माण/अनुरक्षण से संबंधित मेसनरी कार्य। इसमें ऊँचाइयों पर कार्य करना, सुरक्षा का ध्यान रखना, माप लेना, परिक्षण, विविध रिकार्ड का रखरखाव तथा समय समय पर दिए गए कार्य सम्मिलित हैं।
09	तकनीशियन/बी (फिटर)	विभिन्न पाइप सामग्री नामतः एसएस, एमएस, जीआई, डीआई, नॉन मेटलिक इत्यादि के लिए विभिन्न प्रणालियों नामतः वातानुकूलन, अग्निशमन, घरेलु जल, वाँयलर, मल-जल उपचार संयंत्र इत्यादि के लिए पायपिंग नेटवर्क लगाना। चालू पाईपिंग नेटवर्क का ब्रेकडाउन रिपेयर एवं अनुरक्षण।
10	तकनीशियन/बी (एअर कंडिशनिंग)	एअर कंडिशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन प्लांट के परियोजना कार्य समाहित प्रचालन एवं अनुरक्षण जिसमें डक्टींग, पायपिंग, वाल्व सहित एएचयू, पेकेज चिलर्स, कुलिंग टॉवर, पंप शामिल हैं। साथ ही यूनिटरी एअर कंडिशनर्स, वाटर कूलर्स, डिप फ्रीझर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि का रिपेयर एवं अनुरक्षण।
11	तकनीशियन/बी (इलेक्ट्रीकल)	एलटी/एचटी विद्युत उपस्कर का संस्थापन परीक्षण, कमीशनन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, केबलिंग व वायरिंग करना, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतिकरण इत्यादि सिंगल/तीन फेज आपूर्ति प्रणाली में विद्युत समस्याओं की उचित पहचान करना और उनका निराकरण एवं उपचार करना, आवश्यकतानुसार ऊँचाइयों पर कार्य करना, जिम्मेदारियों में सुरक्षा का ध्यान रखना, नाप लेना, परिक्षण रिपोर्ट का रिकार्ड रखना इत्यादि सम्मिलित हैं।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस संबंध में समय समय पर आद्यतन सूचना [www.dcsem.gov.in](http://www.dcsem.gov.in) वेबसाइट पर देखें। भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के मामले केवल मुंबई न्यायाधिकार क्षेत्र के न्यायालयों के अधीन होंगे। चयनित न किये गये उम्मीदवारों के रिकार्ड चयन सूची के प्रकाशित होने की तिथि से छः महीने के बाद संरक्षित नहीं रखे जायेंगे।

#### चेतावनी :

उम्मीदवारों द्वारा उनके आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर चयन/लिखित परीक्षा/कौशल/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उनका नाम चयन सूची में रखा जायेगा। उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त सूचनाएँ सही हैं। यदि बाद में कभी या साक्षात्कार के समय में, उनके आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना या उनके किसी दावे को झूठा पाया गया तो उनकी उम्मीदवारी को नकारा जा सकता है एवं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है।

किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश / कॅन्वर्सिंग को अयोग्यता माना जाएगा



निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES & ESTATE MANAGEMENT

आवेदन हेतु प्रपत्र PROFORMA FOR APPLICATION  
ADVT NO. DCSEM/01/2022

केवल कार्यालय में प्रयोग हेतु FOR OFFICE USE ONLY

आवेदन संख्या Application No.

प्राप्ति की तिथि Date of Receipt

पासपोर्ट के आकार  
हस्ताक्षरित फोटो  
Affix signed  
passport size  
Photograph

1. पोस्ट कोड सं. Post Code No. :

2. आवेदित पद का नाम Post Applied for :

3. आधार संख्या (यदि है) Aadhaar No. (If available) :

4. नाम (बड़े अक्षरों में) एसएससी प्रमाणपत्र के अनुसार  
Name (in BLOCK LETTERS) as per SSC  
certificate :

प्रथम नाम First Name:

मध्यनाम Middle Name:

उपनाम Surname:

पिता का नाम Father's Name:

माता का नाम Mother's Name:

5. राष्ट्रियता Nationality :

6. जन्मतिथि Date of Birth :

7. लिंग Gender : Male  Female  Transgender

8. वैवाहिक स्थिति Marital Status : Married  Unmarried

9. धर्म Religion :

10. a) क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्यित रूप से  
कमजोर वर्ग से है? Whether belongs to Scheduled Caste/ Scheduled  
Tribe/ Other Backward Class/ EWS?  
SC  ST  OBC   
EWS  GEN

b) यदि लागू हो, कृपया जाति/ जनजाति के नाम का उल्लेख करें:  
Please mention the name of Caste/Tribe, if applicable:

11. क्या आप 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में अधिवासित हैं? Are you domiciled in Jammu & Kashmir during the period from 1.1.1980 to 31.12.1989? YES  NO

12. क्या आप 1984 के दंगों में मरने वालों के परिवार के सदस्य हैं? Are you a Family Member of those who died in 1984 riots? YES  NO

13. क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? Do you have any physical disability? YES  NO

विकलांगता की प्रकृति Nature of Disability :

विकलांगता का प्रतिशत Percentage of Disability :

14. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? (यदि हाँ तो उल्लेख कीजिए) Are you an Ex-service man? (If yes, specify) YES  NO

कार्यालय Office	पद Post	प्रवेश की तिथि Date of Entry	कार्यमुक्त होने की तिथि Date of Discharge

15. पता (पिनकोड के साथ बड़े अक्षरों में) Address (in block letters with pin code)

i) पत्राचार के लिए पता For correspondence	ii) स्थायी पता Permanent Address
जिला District: राज्य State: पिनकोड Pin Code:	जिला District: राज्य State: पिनकोड Pin Code:

iii) ई-मेल E-mail ID:

मोबाइल सं. Mobile No.:


16. शैक्षणिक योग्यताएं Educational Qualification:

परीक्षा Examination	विश्वविद्यालय/ बोर्ड / संस्थान University/ Board/ Institution	उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of passing	माध्यम/ विषय Name of Discipline/ Trade	वर्ग / ग्रेड (सीर्फ उत्तीर्ण) Class/ Grade (for passed only)	% अंक % of marks	पाठ्यक्रम की अवधि Duration of Course
S.S.C						
H.S.C						
ITI/Trade Certificate						
NCTVT						
Diploma						
Degree /B.E./B. Tech						
Other						

\* यदि प्रमाणपत्र में ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए का उल्लेख किया गया है, तो अंको के समकक्ष प्रतिशत का संकेत दिया जाना चाहिए।  
Equivalent percentage of marks to be indicated, if grade/CGPA/OGPA is mentioned in the Certificates.

17. यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण दें।

Indicate the course of study, if any, the applicant is continuing presently.

पाठ्यक्रम Course of Study	विश्वविद्यालय/ बोर्ड/संस्थान University/ Board/ Institution	पूर्णकालिक/ अंशकालिक Full Time/ Part Time	पाठ्यक्रम की अवधि Duration of course	पूरे कर चुके छमाही/ विषयों की संख्या No. of Semester/ Subjects completed	प्राप्त Marks obtained

18. अनुभव (सभी पिछले और वर्तमान रोजगार का विवरण प्रस्तुत किया जाना है)

Experience (particulars of all previous and present employment are to be furnished)

नियोक्ता का नाम एवं पता Name & Address of Employer	धारित पद Post Held	केंद्र/ राज्य सरकार/ पीएसयू/ स्वायत्त निकाय/ निजी Central or State Government/ PSUs/Autonomous Bodies/ Private	कार्यकाल Period		स्थायी/अस्थायी Permanent/ Temporary	कार्य का स्वरूप Nature of Work	छोड़ने का कारण Reason for leaving
			से From	तक To			

19. क्या आप केंद्रीय / राज्य सरकार / किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय की सेवा करने हेतु किसी अनुबंध से बंधे हैं? यदि है तो, कृपया पूरी जानकारी दें। Are you under any contractual obligations to serve the Central/State Government/ any other Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies? If so, please furnish full details. YES  NO

20. क्या आवेदक ने कभी केंद्र सरकार (रक्षा सेवा सहित) / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में नौकरी की है तथा पेंशन, उपदान अथवा भविष्य निधि में नियोक्ता का अंश (शेयर) प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहा है? यदि है तो, कृपया पूरी जानकारी दें। Whether the applicant has ever served in Government (including Defence) / State Government/ Public sector undertaking/ Autonomous bodies and in receipt of any pension/gratuity or Employer's share to the Provident Fund? If so, please furnish full details. YES  NO

21. उन संबंधीयों के विवरण दें जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संघटक इकाईयों में पहले से ही कार्यरत हैं। Details of relatives already employed in Department of Atomic Energy or its Constituent Units.

क्र. सं. Sl. No	नाम Name	संबंध Relationship	इकाई जिसमें कार्यरत है Unit in which employed	धारित पद Post Held

22. डिमांड ड्राफ्ट का विवरण Details of Demand Draft

बैंक का नाम Name of Bank	डीडी संख्या DD Number	डिमांड ड्राफ्ट की तिथि Date of Demand Draft	राशि Amount

23. अन्य कोई जानकारी Any other information: \_\_\_\_\_

**घोषणा Declaration:**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विज्ञापन के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करता हूँ और मेरे आवेदन के सभी विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/ समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के गलत पाए जाने या विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में मेरी उम्मीदगारी/ नियुक्ति रद्द/ समाप्त की जा सकती है। I declare that I fulfill the eligibility conditions as per the advertisement and that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility conditions according to the requirements mentioned in the advertisement, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

स्थान Place: \_\_\_\_\_

उम्मीदवार के हस्ताक्षर Signature of the candidate

दिनांक Date: \_\_\_\_\_

**Declaration for candidates seeking reservation as OBC**

I, ..... son / daughter of Shri .....  
resident of village / town / city ..... District ..... State .....  
hereby declare that I belong to the ..... Community which is recognized as a  
backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in  
Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt.(SCT), dated 8-9-1993. It is  
also declared that I do not belong to persons / sections (Creamy Layer ) mentioned in Column 3 of the Schedule  
to the above referred Office Memorandum, dated 8-9-1993.

Signature of the candidate : .....

Name of the candidate : .....

Application No. : .....

Date:

Place:

**ANNEXURE**

**(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)**

This is to certify that Shri/Smt/Kumari \_\_\_\_\_  
son / daughter of \_\_\_\_\_ of village/ town  
\_\_\_\_\_ in District/Division \_\_\_\_\_ in the  
\_\_\_\_\_ State/Union Territory \_\_\_\_\_ belongs to the  
\_\_\_\_\_ Community which is recognized as a backward class under the  
Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.  
\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\*.

Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ and/or his/her family  
ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District/ Division of the  
\_\_\_\_\_ State/Union Territory. This is also to certify that  
he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of  
the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training  
O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT)dated 8.9.1993.\*\*

District Magistrate  
Deputy Commissioner etc.

Date:

Seal:

\* The authority issuing the Certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

\*\* As amended from time to time.

**Note:** The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950

Form of Certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe  
in support of his claim

**FORM OF CASTE CERTIFICATE**

This is to certify that Shri/Shrimati\*/Kumari\* ..... Son/daughter\*  
of ..... of village/town\* ..... in  
District/Division\* ..... of the State/Union Territory\* .....  
belongs to the ..... Caste/Tribe\* which is recognized as a Scheduled  
Caste/Scheduled Tribe\* under:

- The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
- The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
- The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

[(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the  
Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal  
Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes  
and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.]

- The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;
- The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended  
by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;
- The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;
- The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;
- The Constitution (Uttar Pradesh), Scheduled Tribes Order, 1967;
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;
- The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;
- The Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970;
- The Constitution (Sikkim), Scheduled Castes Order, 1978;
- The Constitution (Sikkim), Scheduled Tribes Order, 1978;
- The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989;
- The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990.
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991.
- The Constitution (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act, 1991.

**2.\*\* *Applicable in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons who have migrated from  
one State/Union Territory.***

\*\*This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued  
to Shri/Shrimati\* ..... father/mother\* of  
Shri/Shrimati/Kumari\* ..... of village/town\* .....  
in District/Division\* ..... of the State/Union Territory\* .....  
who belong to the Caste/Tribe\* which is recognised as a Scheduled Caste/ Scheduled  
Tribe\* in the State/Union Territory\* ..... issued by the .....  
(Name of the prescribed authority) vide their No. .... dated .....

....2/-



3. Shri/Shrimati/Kumari\* ..... and/or\* his/her\* family  
ordinarily reside(s) in village/town\* ..... of .....  
District/Division\* of the State/Union Territory\* of .....

Signature .....

Designation .....

(with seal of office)

Place .....

State

Date .....

Union Territory

- \* Please delete the words which are not applicable.
- Please quote specific Presidential Order.
- \*\* Delete the paragraph which is not applicable.

Note :- The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People's Act, 1950.

-----  
List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates:-

1. District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate).
2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

**FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)**

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL:

Certificate No. : .....

Date .....

**DISABILITY CERTIFICATE**

1. This is certified that Shri / Smt. / Kum.\* .....  
 Son / wife / Daughter\* of Shri .....  
 age ..... sex - ..... Identification mark(s) .....  
 is suffering from permanent disability of following category:



**A Locomotor OR Cerebral palsy:**

- (i) BL - Both legs affected but not arms
  - (ii) BA - Both arms affected
  - (iii) BLA - Both legs and both arms affected
  - (iv) OL - One leg affected (right or left)
  - (v) OA - One arm affected (right or left)
  - (vi) BH - Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
  - (vi) MW - Muscular weakness and limited physical endurance.
- (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic

**B Blindness or Low vision:**

- (i) B - Blind
- (ii) PB - Partially Blind

**C Hearing Impairment**

- (i) D - Deaf
- (ii) PD - Partially Deaf

*(Delete the category whichever is not applicable)*

2. This condition is progressive/ non-progressive / likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of ..... years ..... Months.\*

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent

4. Shri/Smt./Kum\* ..... meets the following physical requirement for discharge of his/her duties.

- (i) F - can perform work by manipulating with fingers Yes  No
- (ii) PP - can perform work by pulling and pushing Yes  No
- (iii) L - can perform work by lifting Yes  No
- (iv) KC - can perform work by kneeling and crouching Yes  No
- (v) B - can perform work by bending Yes  No
- (vi) S - can perform work by sitting Yes  No
- (vii) ST - can perform work by standing Yes  No
- (viii) W - can perform work by walking Yes  No
- (ix) SE - can perform work by seeing Yes  No
- (x) H - can perform work by hearing/speaking Yes  No
- (xi) RW - can perform work by reading and writing. Yes  No

(Dr. \_\_\_\_\_)  
 Member, Medical Board

(Dr. \_\_\_\_\_)  
 Member, Medical Board

(Dr. \_\_\_\_\_)  
 Chairperson, Medical Board

Place:

Date:

Counter signed of the  
 Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital  
 (with Seal)

\* Strike out the words which are not applicable:

ROLL NO.

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध दिशालय  
**DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT**  
 लागू बक्से में क्रास करें / Please cross thus in the applicable box.

जाँच परीक्षा हेतु बुलाये गए अभ्यर्थियों की यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा  
**CLAIM FOR REIMBURSEMENT OF TRAVELLING EXPENSES OF CANDIDATES CALLED FOR SCREENING TEST**

भाग- 1 अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए / Part I-To be filled in by the candidate

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में / Name in block letters

--

2. जाँच परीक्षा का विवरण / Details of screening test

पद/Post	दिनांक/Date	विज्ञापन संख्या / Advt.No.

3. श्रेणी / Category:

अनुसूचित जाति /Scheduled Caste	
--------------------------------	--

अनुसूचित जनजाति /Scheduled Tribe	
----------------------------------	--

अन्य/Others	
-------------	--

4. आवेदन संख्या / Application No.

--

4.A पता जैसा कि आवेदन में दिया गया है /Address as given in the application  
 (Email address and Phone number also to be provided)

--

5. विषय /Discipline

--

6. यात्रा का विवरण / Particulars of journey: [ All the tickets (copies) related to the journey should be attached ]

दिनांक Date	स्टेशन / Station		प्रकार/Mode (रेल/बस/हवाईजहाज) (Rail/Bus/Air)	दूरी Distance	श्रेणी Class	टिकट संख्या /Ticket No. पीएनआर संख्या/PNR No.
	से/From	तक/To				

7. किराये के रूप में भुगतान की गई राशि /Amount paid as fare :

रेलवे/बस/हवाईजहाज किराया Railway / Bus / Air fare	आरक्षण प्रभार/Reservation Charges	कुल प्रभार /Total Charges

7a. बैंक का विवरण/ Particulars of Bank: (Account No. should be in the name of Candidate only)

(i) बचत खाता संख्या /S.B.A/c.No.	
(ii) बैंक का नाम/Name of Bank	
(iii) शाखा एवं पता /Branch&Address	
(iv) आईएफएससी कोड सं./IFSC Code No.	
(v) बिएसआर कोड सं./ BSR Code No.	

\*Cancelled Cheque or Xerox copy of first page of Passbook should be brought at the time of interview otherwise TA will not be credited in the account of respective applicant.

8. क्या सेवागत हैं / Whether employed?

No

Yes, as detailed below

नियोक्ता का नाम एवं पता / Name and address of the employer

धारित पद / Post held



मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर दिया विवरण सही है तथा मैंने उपरोक्त विवरण के अनुसार यात्रा की है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि उसी श्रेणी से तथा ऊपर मद् संख्या (6) में दिए गए रेलवे स्टेशन तक वापसी यात्रा करूंगा। I certify that the particulars given above are correct and that I performed the journey as detailed above. I also undertake to perform the return journey by the same class and to the railway station mentioned in item (6) above.

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि इस यात्रा के संबंध में किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ते या यात्रा भत्ते के लिए किसी अंशदान राशि का दावा नहीं किया गया है। I certify that T.A. or any contribution towards T.A. in respect of this journey has not been claimed from any other source.

दिनांक / Date :

हस्ताक्षर / Signature

## भाग II- भर्ती अनुभाग में उपयोग हेतु

## Part II - For use in Recruitment Section

1. विनिर्दिष्ट तिथि को अभ्यर्थी जाँच परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ।  
The candidate has attended the Screening Test on the date specified.
2. भाग 1 के क्रम संख्या 4 ए में अभ्यर्थी द्वारा दिया पता नियुक्ति हेतु आवेदन में दिए पता से मिलता है।  
The address given by the candidate at Sl. No.4A of part-I above tallies with that given in the application for employment.
3. अभ्यर्थी यात्रा-भत्ता प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि  
The candidate is eligible for reimbursement of travelling allowance since

अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तथा वह केंद्रीय / राज्य सरकार / निगम/ सार्वजनिक / स्थानीय सरकार संस्था / पंचायत में कार्यरत नहीं है।

The candidate belongs to the SC/ST category and is not employed in Central/State Government/Corporation/Public Sector Undertaking/Local Government Institution/Panchayat  
अथवा/OR

विज्ञापित पद राजपत्रित है।  
The post advertised is Gazetted.

प्रशासनिक अधिकारी- III / सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती)  
Adm. Officer-III / Asstt. Personnel Officer (R)

## भाग-III लेखा प्रभाग के उपयोग हेतु

## Part III - For use in Accounts Division

1. नजदीकी मार्ग से ..... और ..... के बीच का किराया रु.....  
Fare between ..... and ..... Rs .....  
by the shortest route.
2. वापसी यात्रा हेतु किराया ..... रु. ....  
Fare for the return journey ..... Rs. ....  
कुल / TOTAL ..... रु. ....

अदा करें .....  
Pay Rs. ....

.....  
लेखा अधिकारी  
Accounts Officer

भुगतान प्राप्त किया / Received payment

Revenue  
Stamp

.....  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर  
Signature of the candidate

Government of .....  
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

VALID FOR THE YEAR \_\_\_\_\_

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ permanent resident of \_\_\_\_\_, Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ in the State/Union Territory \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her 'family'\*\*\* is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year \_\_\_\_\_. His/her family does not own or possess any of the following assets\*\*\* :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_

Recent Passport size  
attested photograph of  
the applicant

\*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

\*\*Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.